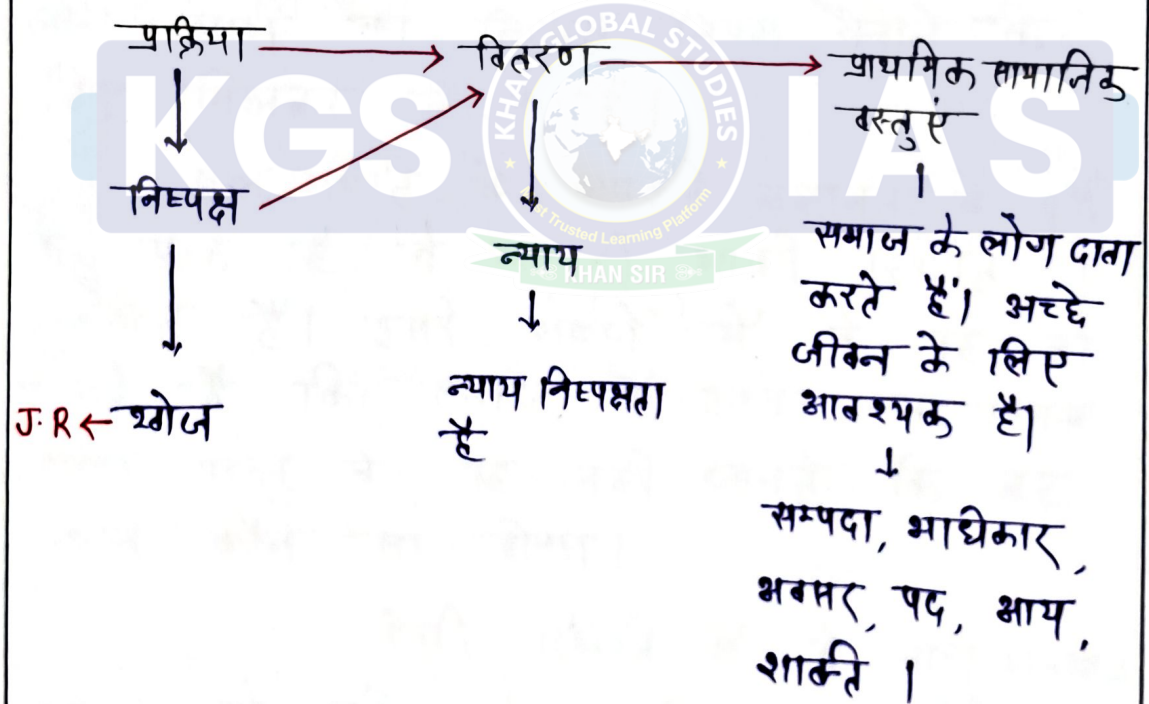


[ऑन रॉल्लस]

- 10 वीं शताब्दी के महान राजनीतिक दार्शनिक विचारक ।
- इनकी प्रसिद्ध पुस्तक "ए थियरी ऑफ् जस्टिस" उपरागदी विचारक ।
- न्याय का मुख्य कार्य प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण करना है ।
- न्याय निष्पक्षता के रूप में ।



ऑन रॉल्लस के अनुसार न्याय का मुख्य कार्य प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण करना है प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं से तात्पर्य उन से है जिस पर समाज के लोग दावा करते हैं।

जैसे - शक्ति, भवसर, अधिकार, आय, सम्पदा आदि। इन प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए निष्पक्ष नियम या प्रक्रिया की खोज करना ही रॉलस का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि रॉलस न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखते हैं।

रॉलस इसके लिए मूल स्थिति की कल्पना करते हैं। मूल स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है। जिसमें कुछ तार्किक एवं समान लोग न्याय का निष्पक्ष नियम बनाने के लिए मिलकर बैठते हैं।

मूल स्थिति के व्याप्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं वे अपनी भावी स्थिति से अनभिज्ञ हैं। इससे शब्दों में वे यह तो जानते हैं कि समाज में उनका एक स्थान होगा परन्तु वे यह नहीं जानते कि वह स्थान कौन सा होगा।

ऐसी स्थिति में वे लोग भेदभाव पूर्वग्रह से रहित होकर नियम बनाएंगे। जब निष्पक्ष नियमों के आधार पर प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा तो वह भी निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण होगा इसी सन्दर्भ में रॉलस न्याय को निष्पक्षता के रूप में स्वीकार करते हैं।

मूल तथ्योक्ति के व्याक्ति तार्किक होने के कारण न्याय के दो नियमों का प्रतिपादन करेंगे।

1- प्रत्येक व्याक्ति को उस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाएगी। जहाँ तक वह अन्यो की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता हो उसे "स्वतंत्रताओं की समानता का नियम" कहते हैं।

2. सामाजिक भार्गिक विभेदों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि-

(a) समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम मिले "सो विभेद का नियम" कहते हैं। यह नियम कल्याणकारी राज्य का वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है।

(b) पद और अवसर सभी व्याक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगे इसे "अवसर की उचित समानता का नियम" कहते हैं।

विभेद का नियम :-

विभेद के नियम के संदर्भ में जॉन रॉलस का यह कहना है कि यह व्यवहार में कल्याणकारी राज्य एवं सकारात्मक विभेद का समर्थन करता है।

रॉलस के मतानुसार न्याय पुरस्कार का विभांश न होकर क्षतिपूर्ति का विभांश है।

पुरस्कार - योग्यता के अनुसार

क्षतिपूर्ति - आवश्यकता के अनुसार

रॉलस के अनुसार न्याय का यह भी तात्पर्य है कि समाज का कोई वर्ग अमाननीय जीवन जीने के लिए मजबूर न हो अतः जो वर्ग को न्यूनतम सुविधा प्राप्त है उसे पुरस्कार के बजाय क्षतिपूर्ति लिहात अपना कर विशेष सुविधाएं दी जाए। इस प्रकार यह नियम सामाजिक न्याय का समर्थन करता है। भारतीय सन्दर्भ में रॉलस की इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है।

रॉलस अपने इस विचार का समर्थन श्रृंखला लिहात के आधार पर भी करते हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार किसी श्रृंखला की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती पर निर्भर करता है इसी प्रकार समाज का स्थापित्व भी उसके सबसे कमजोर सदस्यों के समृद्धि पर निर्भर करता है।

योग्यता बनाम आवश्यकता :-

अगर योग्यता आधारित वितरण किया जाए तो फिर इसका तार्किक परिणाम असमानतापूर्ण समाज होगा जिसमें कुछ व्यक्ति अमाननीय जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिये जायेंगे।

- आवश्यकता सिद्धांत की कमी यह है कि हमारे संसाधन सीमित हैं और सीमित संसाधन से सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः न्याय का ^{उचित} सिद्धांत यह होगा जो इन दोनों समस्याओं का समाधान करे।

- उचित तो यह होगा कि आरम्भ में योग्यता का विचार किये बिना प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए ताकि वे मानवीय जीवन जी सकें। जब एक बार यह लक्ष्य पूरा हो जाए तो योग्यता का विचार लागू कर देना चाहिए और व्यक्तियों को अपना अधिकतम विकास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।

अमर्त्तसेन के अनुसार प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण के बजाय लोगों की क्षमता या सामर्थ्य के विकास पर बल देना चाहिए। सामर्थ्यवान बनने से ही व्यक्ति को अधिकतम सुविधा मिलेगी और वह उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकेगा। अतः सामाजिक नीति बनाने वालों को लोगों के सामर्थ्य के सन्दर्भ में अधिक-से अधिक जानकारी होनी चाहिए ताकि वांछित और कमजोर वर्ग

के सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु बेहतर नीतियाँ बनाई जा सकें।

